हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 80/2018 किस्म 223 आर.टी.एक्ट. बअनवान मोहनलाल वगै. बनाम रामेश्वरी वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04.08.2021

पीठासीन अधिकारीः— श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थितः— श्री प्रियतम आजाद अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री लाधुराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.08.2021

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 185/2011 बअनवान मोहन वगै. बनाम विरेन्द्रकुमारी वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट बहस करते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि मौका खेड़ खसरा संख्या 308 रकबा 11.06 बीघा भूमि का अपीलकर्तागण को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक अमल दरामद किया जावे। रेस्पोडेंटान के नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी से हटाए जाकर सुधार की प्रविष्टियां अंकित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय बिना क्षेत्राधिकार का प्रत्यासत गलत, अवैध, अशुद्ध अनुचित Perverted, arbitrary and Contrary to revenue law एवं प्रकरण की पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजात के नितान्त विपरीत एवं भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों एवं राजस्व विधि के स्थापित सिद्धांतों को मनमानी तरंग पर उल्लघंन एवं अवहेलना कर अशुद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के शिविर न्याय आपके द्वारा कैम्प खेड़ में दिनांक 14.06.2018 को अपीलकर्तागण की अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त कैम्प कोर्ट के सुनवाई तारीख की सूचना व उस पर उपस्थित होने की जानकारी अपीलकर्तागण को नही दी गई जिस कारण उक्त दिनांक 14.06.2018 को कैम्प खेड़ में उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण में पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर अपीलांट अपने आवश्यक साक्ष्य से उसे अवश्य ही साबित करवाता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञापक सम्यक Trial की प्रक्रिया अपनाये बिना ही अपीलाकर्तागण को भी समुचित साक्ष्य गवाह सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। कैम्प कोर्ट में केवल राजीनामा एवं पारस्परिक सहमति से निस्तारित होने वाले प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई कंडिशन नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण किया गया। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौखिक तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया जिसका कोई आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलाधीन आराजी को अपीलांटगण ने बेचान करना बताया जबकि जबकि बैचान रजिस्ट्री या इकरारनामा पेश नहीं किया न ही ऐसे कोई सबूत पेश किया जिससे जाहिर हो कि प्रतिवादी संख्या 01 के पति ने अपीलांटगण/वादी के पिता को बैचान या इकरार किया हो ऐसा कोई सबूत रेकर्ड पर पेश नहीं किया गया। अपीलांटगण न्यायालय का समय जाया कर रहे है तथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। अपीलांटगण/वादी के मौखिक कथनों के आधार पर हस्तगत दावा चलने लायक नहीं है। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कल्पना के आधार पर पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन न्यायिक निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील को खारिज करना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः अपीलांट की अपील को सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 185/2011 बअनवान मोहन वगै. बनाम विरेन्द्रकुमारी वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर